न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 104/2018

1. अतरसिंह, रामरतन पिसरान रामफल जाति गुर्जर निवासी भौपुर शाहपुर तहसील महवा जिला दौसा।

.. अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 22.12.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम अतरसिंह मु0नं0 297/2017 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 28.10.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा ने दिनाक 22.12.2017 को ग्राम बेडा जगरामपुरा तहसील महवा के खसरा नं0 264 रकबा 2.19 है0 एवं खसरा नंबर 265 रकबा 0.64है0 किता 2 रकबा 2.83है0 किस्म चरागाह भूमि पर सरसों बुवाई करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट को जबाव व सबूत का कोई मौका नही मिला है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत कोई सबूत या निर्णय भी नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नही हुई है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की मौजूदगी मे कोई निर्णय पारित नही किया है। जबकि सजा जैसे प्रकरण मे पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका मिलना कानूनन व न्यायार्थ आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर गेहूँ की काश्तकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा